



कार्यालय : वन प्रमंडल पदाधिकारी, खूँटी वन प्रमंडल, खूँटी।

E-mail : dfo-khunti@gov.in



जहाँ है हजिवाली ।
वहाँ है खूँटी ।

झारखण्ड सरकार

पत्रांक- 1348 दिनांक- 11/06/2020

सेवा में,

श्री बी.के. झा,
सहायक उपाध्यक्ष (BD)
रूँगटा हाउस, चाईबासा - 833201

विषय - खूँटी वन प्रमण्डल, खूँटी अंतर्गत मे. रूँगटा माईन्स लिमिटेड द्वारा परासी स्वर्ण ब्लॉक में खनन हेतु प्रस्तावित 11.959 हे. वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव।

प्रसंग - वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार का पत्र संख्या - वनभूमि-58/2018-133 व.प., राँची, दिनांक- 16.02.2020 तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची का पत्रांक- 347 दिनांक- 05.06.2020

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में सूचित करना है कि इस प्रमण्डल अंतर्गत मे. रूँगटा माईन्स लिमिटेड द्वारा परासी स्वर्ण ब्लॉक में खनन हेतु प्रस्तावित 11.959 हे. वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव पर इस कार्यालय के पत्रांक- 2357 दिनांक- 23.08.2020 द्वारा ऑनलाईन प्रस्ताव अपलोड करते हुए हार्ड कॉपी आवश्यक कार्यार्थ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची को समर्पित की गई थी। विभागीय स्तर से समीक्षोपरान्त FRA के तहत विषयक परियोजना में अभियोजन हेतु प्रस्तावित 11.959 हे. वनभूमि के संबंध में प्रासंगिक पत्र (छायाप्रति संलग्न) द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र की मांग की गई है।

अतः अनुरोध है कि विषयक परियोजना में प्रस्तावित वनभूमि के संबंध में FRA, 2006 के तहत सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र की प्रति समर्पित करना सुनिश्चित करें ताकि वांछित पृच्छा का जवाब अविलम्ब दिया जा सके।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

आपका विश्वासी,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
खूँटी वन प्रमण्डल, खूँटी।

11/6

अनु.-यथोक्त।



झारखण्ड सरकार

कार्यालय : वन प्रमंडल पदाधिकारी, खूँटी वन प्रमंडल, खूँटी।

E-mail : dfo-khunti@gov.in



जहाँ है रजिस्ट्री
वहाँ है खूँटी

पत्रांक- 1348 दिनांक- 11/06/2020

सेवा में,

श्री बी.के. झा,
सहायक उपाध्यक्ष (BD)
रूँगटा हाउस, चाईबासा - 833201

विषय - खूँटी वन प्रमंडल, खूँटी अंतर्गत मे. रूँगटा माईन्स लिमिटेड द्वारा परासी स्वर्ण ब्लॉक में खनन हेतु प्रस्तावित 11.959 हे. वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव।

प्रसंग - वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार का पत्र संख्या - वनभूमि-58/2018-133 व.प., राँची, दिनांक- 16.02.2020 तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची का पत्रांक- 347 दिनांक- 05.06.2020

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में सूचित करना है कि इस प्रमंडल अंतर्गत मे. रूँगटा माईन्स लिमिटेड द्वारा परासी स्वर्ण ब्लॉक में खनन हेतु प्रस्तावित 11.959 हे. वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव पर इस कार्यालय के पत्रांक- 2357 दिनांक- 23.08.2020 द्वारा ऑनलाईन प्रस्ताव अपलोड करते हुए हार्ड कॉपी आवश्यक कार्यार्थ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची को समर्पित की गई थी। विभागीय स्तर से समीक्षोपरान्त FRA के तहत विषयक परियोजना में अमियोजन हेतु प्रस्तावित 11.959 हे. वनभूमि के संबंध में प्रासंगिक पत्र (छायाप्रति संलग्न) द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र की मांग की गई है।

अतः अनुरोध है कि विषयक परियोजना में प्रस्तावित वनभूमि के संबंध में FRA, 2006 के तहत सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र की प्रति समर्पित करना सुनिश्चित करें ताकि वांछित पृच्छा का जवाब अविलम्ब दिया जा सके।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

आपका विश्वासी,

अनु.-यथोक्त।

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
खूँटी वन प्रमंडल, खूँटी।

11/6
11/6



कार्यालय :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

पत्रांक - 342

दिनांक - 05.6.2020

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची।

वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची।

वन प्रमण्डल पदाधिकारी

खूँटी वन प्रमण्डल, खूँटी।

विषय:- खूँटी वन प्रमण्डल के अन्तर्गत मेसर्स लूंगटा माईन्स लिमिटेड द्वारा परासी
स्वर्ण ब्लॉक में खनन हेतु प्रस्तावित 11.959 हे० वन भूमि अपयोजन का
प्रस्ताव।

प्रमाण:- 1) वन विनायीय पत्रांक 133 दिनांक 16.01.2020

महाराष्ट्र, 2) इस कार्यालय के पत्रांक 1385 दिनांक 29.11.2019

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र (1) की छायाप्रति संलग्न है।

प्रासंगिक पत्र (1) द्वारा युक्ति विन्दु संख्या (i) के संक्षेप में ताछित प्रतिवेदन इस
कार्यालय को शीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ताकि राज्य सरकार का वांछित प्रतिवेदन भेजा
जा सके।

अनु०:- यथोक्त।

विश्वासभाजन,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पत्र संख्या-वन भूमि-58/2019- 133 व०प०, राँची, दिनांक- 16/02/2020

प्रेषक,

सुनील कुमार,
विशेष कार्य पदाधिकारी

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

विषय :- खूँटी वन प्रमंडल अंतर्गत मेसर्स लूंगटा माईन्स लिमिटेड द्वारा परासी स्वर्ण ब्लॉक में खनन हेतु प्रस्तावित 11.959 हे० वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :- आपका पत्रांक-1385 दिनांक-29.11.2019

महाराय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में विषयगत परियोजना से संबंधित निम्नलिखित प्रतिवेदन/अभिलेख अपेक्षित है :-

- (i) वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत निर्गत प्रमाण-पत्र (इस क्रम में हुई बैठकों की कार्यवाही सहित)।
- (ii) प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची का मंतव्य।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त वांछित प्रतिवेदन/अभिलेख विभाग को शीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

विश्यासभाजन

(सुनील कुमार)
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापक-वन भूमि-58/2019- 133

व०प०, राँची, दिनांक- 16/02/2020

प्रतिलिपि-प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सुनील कुमार)
विशेष कार्य पदाधिकारी

कार्यालय :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

पत्रांक :- 1385

दिनांक :- 23.10.2019

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची।

विषय:- खूँटी वन प्रमण्डल के अन्तर्गत मेसर्स लूंगटा माईन्स लिमिटेड द्वारा परासी
स्वर्ण ब्लॉक में खनन हेतु प्रस्तावित 11.959 हे० वन भूमि अपयोजन का
प्रस्ताव।

प्रसंग:- वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची का पत्रांक 2272 दिनांक 23.10.2019
महाशय,

प्रासंगिक पत्र (छायाप्रति संलग्न) द्वारा विषयगत परियोजना (FP/JH/MIN/37423/2018)
हेतु कुल 11.959 हे० वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव Online तथा Hard Copy इस कार्यालय में प्राप्त
हुआ है।

उपर्युक्त प्रासंगिक पत्र द्वारा प्राप्त प्रस्ताव में वस्तुस्थिति निम्नवत् प्रतिवेदित है :-

1. प्रस्ताव के साथ प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विहित Form-A, प्रपत्र-1 में ऑनलाईन आवेदन दर्ज है।
2. यह परियोजना खूँटी वन प्रमण्डल अन्तर्गत अवस्थित है।
3. प्रस्तावित वनभूमि की वैधानिक स्थिति निम्नवत् है :-

क्र० सं०	वन प्रमण्डल का नाम	अधिसूचित वनभूमि की रकबा (हे० में)	जंगल-झाड़ी वनभूमि की रकबा (हे० में)	कुल रकबा (हे० में)	वनस्पति घनत्व	ईको- बलाश
1	खूँटी वन प्रमण्डल, खूँटी	4.407	7.552	11.959	0.6	ईको-3

4. प्रस्तावित वनभूमि का land schedule संलग्न है, जिसमें 11.959 हे० वनभूमि एवं 63.314 हे० गैर
वनभूमि सन्निहित है।
5. प्रस्ताव अन्तर्गत अपयोजन हेतु याचित वनभूमि का रकबा निम्नवत् है :-

S. No.	Village	Thana, Thana No.	District	Name of the Tenant	Khata No.	Plot No.	Area in acres	Type of Land
1.	Parasi	Tamar, Thana No. 151	Ranchi	Gair Majarua Khas	280	830 P	1.15	Jungle Paraas
2.				Gair Majarua Khas	280	835 P	0.07	Jungle Paraas
3.				Gair Majarua Khas	280	836	1.07	Jungle
4.				Gair Majarua Khas	280	838	6.66	Jungle Paraas
5.				Gair Majarua Khas	280	840	2.21	Jungle Paraas
6.				Gair Majarua Khas	280	843	3.67	Jungle Jhaari
7.				Gair Majarua Khas	280	844	4.96	Tongri (PF)
8.				Gair Majarua Malik	280	847	0.26	Jungle Jhaari
9.				Gair Majarua Khas	280	854	5.88	Tongri (PF)

- 25 प्रस्ताव पर CWLW, झारखण्ड का मतव्य प्राप्ति हेतु अनुरोध किया जा रहा है। जिसके प्राप्त होने पर अलग से राज्य सरकार को अवगत कराने की कार्रवाई की जायेगी।
- 26 प्रस्तावित वनभूमि के अपयोजन हेतु क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा सशर्त अनुमति की गई है, जिससे अधोहरताक्षरी सहमत है।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची से संचिका पर अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है।

संबंधित Time Line पत्र के साथ सलग्न है।

प्रस्ताव की तीन मूल प्रतियाँ भेजते हुए अनुरोध है कि इस परियोजना हेतु कुल 11.959 हे० वनभूमि अपयोजन हेतु स्टेज-1 प्राप्ति की दिशा में अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु०:- यथोक्त।

प्रस्ताव की तीन प्रतियों के साथ।

विश्वासभाजन,

ह०/-

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक

दिनांक

प्रतिलिपि:- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची को कड़िका-25 पर मतव्य हेतु प्रस्ताव, की एक मूल प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक 1385

दिनांक 29.11.15

प्रतिलिपि:- क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची/वन प्रमण्डल पदाधिकारी, खूँटी वन प्रमण्डल, खूँटी/ मेसर्स लूंगटा माईन्स लि०, लूंगटा कार्यालय, मेन रोड, बारबिल, जिला-क्योझार, ओडिसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।